



हड़बड़ी में चुनाव सुधार पारित

वहीं आशंकाओं की वजह से इसका विरोध भी देखा जा रहा है। 2015 में चुनाव आयोग की तरफ से आधार डेटा के सहारे मतदाता सूची से फर्जी नाम हटाने और दोहराव मिटाने का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पहल पर रोक लगा दी थी।

राधा शर्मा।

विपक्ष के विरोध और उसकी ओर से व्यक्त की जा रही आशंकाओं के बीच जिस हड़बड़ी में चुनाव सुधार (संशोधन) विधेयक 2021 संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया, वह अच्छी मिसाल नहीं पेश करता। आधार नंबर को वोटर आईडी कार्ड से जोड़ने की बात जब से शुरू हुई है, तभी से इसके संभावित दुरुपयोग की आशंकाएं जताई जा रही हैं। इन्हीं आशंकाओं की वजह से इसका विरोध भी देखा जा रहा है। 2015 में चुनाव आयोग की तरफ से आधार डेटा के सहारे मतदाता सूची से फर्जी नाम हटाने और दोहराव मिटाने का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पहल पर रोक लगा दी थी। यह बात बार-बार

स्पष्ट होती रही है कि आधार कार्ड का इस्तेमाल पते के सबूत के रूप में किया जा सकता है, लेकिन इसे किसी की नागरिकता का प्रमाण नहीं करार दिया जा सकता। हालांकि मौजूदा विधेयक में आधार नंबर को वोटर आईडी कार्ड से जोड़ने की व्यवस्था को ऐच्छिक रखा गया है और इसी आधार पर सरकार इसके विरोध को अनावश्यक बता रही है, लेकिन इससे उस हड़बड़ी का औचित्य नहीं साबित होता जो बिल पास करने में दिखाई गई है। राज्यसभा में इसे विपक्ष के वॉकआउट के बाद पारित किया गया। लोकसभा में भी इस पर ठीक से बहस नहीं हो सकी। विपक्षी सांसदों को संशोधन सुझाने का मौका नहीं मिला। कई नेता कहते पाए गए कि विपक्ष



के 12 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित करने का संभवतः यही उद्देश्य था कि राज्यसभा से यह बिल विपक्ष के विरोध के बावजूद आसानी से पारित करा लिया जाए। चुनाव सुधार की एक महत्वपूर्ण पहल को लेकर विपक्ष में इस तरह का अविश्वास बनने देना संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। दिलचस्प यह भी है कि कानून मंत्री ने विधेयक का समर्थन करते हुए विपक्षी सदस्यों की यह कहकर आलोचना की कि वे इस विधेयक को समझ ही नहीं पाए हैं। अगर इस आलोचना को सच मान लिया जाए, तब भी क्या सरकार के लिए यह जरूरी नहीं था कि ऐसे तमाम सदस्यों को विधेयक समझने का

पूरा मौका देती, उनके साथ विस्तृत बातचीत और बहस चलाकर उन्हें पूरी जानकारी मुहैया कराती, उनकी आशंकाएं दूर करती? ऐसी ही हड़बड़ी में बनाए गए कृषि कानूनों ने सरकार को कितनी असुविधाजनक स्थिति में डाला और कैसे कृषि सुधार के अजेंडे को पीछे की ओर धकेल दिया, यह सब देख चुके हैं। खुद प्रधानमंत्री ने तीनों कानून वापस लेते हुए इस बात पर अफसोस जताया कि सरकार किसानों को समझा नहीं पाई। ऐसे में यह और ज्यादा जरूरी था कि चुनाव सुधार जैसे महत्वपूर्ण कदम पर सरकार सावधानी बरतती। संसदीय लोकतंत्र में असहमति के लिए तो हमेशा गुंजाइश रहती है, इसे हर कीमत पर बनाए भी रखना चाहिए, लेकिन संदेहों और आशंकाओं को पलने देना ठीक नहीं होता।

संघर्ष

अशोक वोहरा। संघर्षशील व्यक्ति कुछ सीखे या न सीखे, पर गम होते हुए भी मुस्कुराना सीख जाता है। संघर्ष की जमीन पर एड़ी रगड़ कर मजिल तक पहुंचने वाला कभी घमंड के बादलों पर सवार नहीं होता। वह कभी आराम करने की नहीं सोचता, क्योंकि वह जानता है कि समय का कोई अवकाश-दिवस नहीं होता। हमें जीवन में इतना तो संघर्ष कर ही लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण न देना पड़े। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, 'उठो जागो और लक्ष्य तक मत रुको।' भविष्य में क्या होने वाला है, वह अनिश्चित है। कुछ अगर निश्चित है तो वह है हमारा अपना संघर्ष और पुरुषार्थ। सफलता मिलेगी या नहीं, इसकी चिंता छोड़कर केवल अपना काम करते चलें।

धर्म-दर्शन



संपादकीय

अमीरी के द्वीप

एक समाज, एक सभ्यता के लिए के-शेड रिकवरी एक भयानक चीज है। इसका व्यावहारिक अर्थ यह है कि ऊपर से सारे आंकड़े ठीकठाक दिखते रहेंगे। लेकिन अर्थव्यवस्था के इंजन की भूमिका निभाने वाला भारत का बाजार और इसका भविष्य, दोनों इस बीच बुरी तरह सिकुड़ते जाएंगे। ग्रोथ हकीकत में रुग्ण अमीरी के द्वीपों की होगी, जिसे कुछ मायनों में 'कैंसरस ग्रोथ' समझना ही उचित होगा। इसलिए बीमारी के नरम पड़ने के बाद सरकार का पहला काम यह होना चाहिए कि वह अवसरों की समानता में आ रहे अवरोधों को दूर करे और छप्पर फाड़कर बरसा धन बटोर लेने वाले सुपर-रिच तबके की इस काम में पूरी मदद ले। शिक्षा से भी बुरा हाल हमारे यहां चिकित्सा क्षेत्र का है। फाइव स्टार सुविधाओं वाली प्राइवेट हॉस्पिटल चेन्स का हल्ला वर्षों से जारी है, लेकिन महामारी के मामले आने शुरू हुए तो इन बीमा-बेस्ड अस्पतालों ने अपने दरवाजे धड़ाम से बंद कर लिए। बाद में दबाव पड़ने पर इनमें से कुछ दरवाजे खुले भी तो अमीर परिवारों ने भी इनके बिल देखकर बीच बीमारी में ही अपने मरीज कहीं और भर्ती कराए। सरकार को एक ऐसा सर्वे जरूर करवाना चाहिए कि कोरोना के इलाज के दौरान कितने परिवार खाते-पीते मध्यवर्ग की स्थिति से नीचे आकर गरीब तबकों में शामिल हो गए हैं और कितने अपनी बचत, जीविका और साथ में मरीज भी खोकर सड़क पर आ गए हैं। यह मदद वे अपनी मर्जी से शायद ही देना चाहेंगे, लिहाजा इसके लिए कानून बनाए जाएं।

कोविड महामारी के दौरान पहली बार हमें के-शेड रिकवरी की चर्चा सुनने को मिली। यानी पूरी अर्थव्यवस्था के धड़ाम से नीचे जाने के बाद इसके एक हिस्से का तेजी से ऊपर आना, जबकि दूसरे हिस्से का नीचे ही नीचे चलते जाना।

शिक्षा का बेड़ा ठर्क

चंद्रभूषण।।

आर्थिक संकटों के बाद अर्थव्यवस्थाओं की वी-शेड, यू-शेड, और एल-शेड रिकवरी की बात हमने सुनी है। इनमें पहली का अर्थ है, जिस रफतार से एक अर्थव्यवस्था नीचे गई थी, उसी तरह उसका ऊपर उठकर अपनी सहज गति में लौट आना। दूसरी से मतलब तली वाली स्थिति में कुछ समय बिता लेने के बाद ऊपर उठने से लिया जाता है, जबकि तीसरी का अर्थ है नीचे जाने के बाद उसी स्तर पर पड़े रह जाना। कोविड महामारी के दौरान पहली बार हमें के-शेड रिकवरी की चर्चा सुनने को मिली। यानी पूरी अर्थव्यवस्था के धड़ाम से नीचे जाने के बाद इसके एक हिस्से का तेजी से ऊपर आना, जबकि दूसरे हिस्से का नीचे ही नीचे चलते जाना। ऐसा हम एक साल से, बल्कि जरा और पहले से अपने इर्दगिर्द होते देख रहे हैं। दुनिया में बढ़ रही आर्थिक विषमता को लेकर कई संगठन हर साल आंकड़े जारी करते हैं, जिससे एक-दो दिन की सनसनी भर पैदा होती है। आम जनजीवन के लिए इसके बहुत मायने नहीं होते। उदाहरण के लिए, यह बात शायद ही किसी के दिमाग में दर्ज हो कि वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम में दिए गए अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने जिस कठिन कोविड दौर में 80 करोड़ भारतीयों को मुफ्त में भोजन उपलब्ध कराने की बात कही



है, उसी डेढ़ साल की अवधि में भारतीय अरबपतियों की संपदा 23 लाख करोड़ से बढ़कर 53 लाख करोड़ रुपये हो चुकी है। पिछले दो दशकों में हम अपने अरबपतियों की तादाद बढ़ने पर गर्व ही करते आ रहे हैं। जाहिर है, इन विचित्र संख्याओं से हमारे चमचमाते गर्व पर शर्म का कोई छीटा नहीं पड़ने जा रहा। फिर भी, अपने आसपास हो रहे कुछ बदलावों की अनदेखी हमें नहीं करनी चाहिए। कोविड के दौर में देश की अरबपति जमात का हिस्सा बने 40 नामों में एक का संबंध शिक्षा के क्षेत्र से है। यह कोई स्कूल चैन नहीं, एक ट्यूशन-कोचिंग एग्रीगेटर है। जाति व्यवस्था के शिकार इस देश में और भी भयानक किस्म की एक नई जाति व्यवस्था कायम करने वाले इस दुष्क्रम के बारे में काफी कुछ कहा जाता रहा है। रसायनशास्त्र के नोबेल लॉरिएट वेंकी रामकृष्णन ने

पुरस्कार जीतने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में भारत की कोचिंग इंडस्ट्री के चलते अपना दाखिला आईआईटी में न होने और मजबूरी में अकेडमिक्स की तरफ आ जाने की बात कही थी। अभी तो यह धंधा इतना बड़ा हो चुका है कि देश के 80 फीसदी आम दायरे से प्रतिभाओं का चयन एक दिवावर्ष बनकर रह गया है। दुर्भाग्य यह कि लोगों को आगे बढ़ने के न्यूनतम अवसरों से वंचित करने वाली इस प्रक्रिया का विस्तार कोविड के दिनों में उच्च शिक्षा से साक्षरता तक हो गया है। एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट (असर) ने 2021 में पिछड़े इलाकों के स्कूली बच्चों से सवाल-जवाब करके दो नतीजे निकाले। एक, कुल 68 प्रतिशत बच्चों के परिवार में किसी न किसी व्यक्ति के पास स्मार्टफोन मौजूद था। और दो, इसके जरिये ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा शहरों में 24 फीसदी और गांवों में सिर्फ आठ फीसदी बच्चों को ही प्राप्त हो पा रही थी।

विश्व बैंक बता रहा है कि भारी तादाद में बच्चों की, खासकर बच्चियों की पढ़ाई कोविड में ही खत्म हो चुकी है। जैसे, मार्च 2020 में अगर कोई बच्चा दूसरी पास करके तीसरी क्लास में जाने वाला था तो उसे मार्च 2022 में पांचवीं के बजाय तीसरी की पढ़ाई कराना बेहतर होगा, क्योंकि बुनियादी समझ हासिल किए बिना ऊंची क्लास की पढ़ाई उससे हो नहीं पाएगी।

सूचकांक नवताल- 5351				****			
				उत्तमता			
	2						4
		6					1
5		8		2			3
		7					6
	3					8	
1	6			3			7
2					5		
8					4		

अपना ब्लॉग

भारत की शिक्षा व्यवस्था बीमार

मोहन। के-शेड रिकवरी का यह भी एक अनोखा उदाहरण है। जिस माहौल से निकली ऑनलाइन पढ़ाई ने भारत को पहला 'एजुकेशन बिलिनेयर' दिया है, वही बुनियादी शिक्षा से वंचित एक समूची पीढ़ी की सौगात भी देश को देने जा रही है। अगर हम इसे आकस्मिक कोविड आपदा का झटका मानकर पुराने रास्ते पर ही बढ़ते जाते हैं तो यह खुद को धोखे में रखने जैसा होगा। भारत की शिक्षा व्यवस्था बीमार है और इसकी बीमारी वक्त बीतने के साथ बढ़ रही है। इसका ढांचा अब पूरी तरह उन परिवारों तक ही सिमट चुका है, जिनके मुखिया के खाते में 30 साल की उमर होने तक कम से कम 50 हजार रुपये हर महीने पहुंचने लगते हैं। यह भी कि जो बच्चे स्कूल लौटने वाले हैं, उन्हें भी कोविड से पहले वाली स्थिति में ही मानकर पढ़ाना उचित रहेगा। भारत में ऐसे परिवार 15-20 फीसदी या शायद उससे भी कम हैं। बाकी 80 फीसदी आबादी फर्जी 'इंग्लिश मीडियम' स्कूलों और 'शिक्षामित्रों' के भरोसे है।

